इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 118 / प्र0अ0(त0स0) / जोन–1 / प्रस्ता0 / 2014–15 दिनांक 05/07/2016

अनुमति–पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री सुभाष खुराना एवं श्री विवेक खुराना द्वारा पार्ट पोर्शन आफ बंगला नं0–13 / 15 एडमास्टन रोड, तहसील–सदर जिला इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अर्न्तगत दाखिल प्रस्तावित व्यवसायिक भवन मानचित्र की स्वीकृति / निर्गमन उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 10–06–2016 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट / इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 02 अद्द वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदकगण का होगा।
5. प्रस्तुत मानचित्र बेसमेन्ट, स्टिल्ट / भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मम्टी+मशीन रूम एवं बरसाती के निर्माण की अनुमति हेतु है। तद्नुसार ही निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाय।
6. निर्माण भूकम्परोधी मानको के आधार पर ही आवश्यक रूप से किया जाय। भवन की संरचना एवं सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा।
7. अवस्थापना सुविधाओ के परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त अनापत्ति पत्रांक 930 / STCE/16 दिनांक 18.02.2016 का अक्षरशः अनुपालन करना होगा **(छायाप्रति संलग्न)**।
8. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू–स्वामित्व का अधिकार प्रदान नही करती है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय / प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

-2

05/07/2016

Mob→9335961911

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

AREA STATEMENT

S.No.	Particulars	Area as per plan / Sq.m
1.	Total Plot Area	251.53
2.	Area Effeted by front road widening	31.02
3.	Net Plot area	220.51
4.	Total Ground Coverage	88.204=40%
5.	stilt floor (parking area)	48.824
6.	stilt floor (hall)	39.38
7.	Basement floor	73.94
8.	Total Floor Coverage	
9.	Ground floor	39.38
10.	First Floor	88.204
11.	Second Floor	88.204
12.	Third Floor	88.204
13.	Barsati	19.54
14.	Total	303.98
15.	Total F.A.R.	1.378
16.	Mumty.	3.75
17.	Lift Machine Room	5.71

Propose Commercial /residential Building Plan
On Free HoldPlot. V,Civil Station Part Portion Also
B No. 13/15 Taskand Marg (Edmistion Road)
Allahabad

OWNER
Sri Subhash Khurana S/o Late Lok Nath Khurana
&
Sri Vivek Khurana S/o Sri Subhash Khurana

This is to Certify That This Map is
According to Building Bye laws -2014
and Allahabad Master Plan -2021

OWNER'S SIGNATURE	ARCHITECT SIGNATURE
LTI of Subhash Khurana / VIVEK KHURANA	Shekhar Verma, B. Arch. Architect (C.A. 95/18080)

Scale 1:100

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT